

वित्तीय दिशा निर्देशन 2012-13

कार्यक्रम का नाम- IUD Insertion प्रशिक्षण

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष- A.9.6

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.9.6.4.2 & A.9.6.4.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण -

परिवार नियोजन तथा जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु spacing method में प्रशिक्षित डाक्टरों/नर्सों/ ए०एन०एम०/स्टाफ नर्स/LHV की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। RCH-II(NRHM) के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर IUD Insertion की सुविधा प्रदान किया जाना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मे दो वर्ग में अर्थात चिकित्सा पदाधिकारी (प्रत्येक जिला में एक बैच) तथा /ए०एन०एम०/स्टाफ नर्स/LHV को प्रशिक्षित कर संपादित की जानी है।-

इकाई राशि (रु० लाख में)- 81500.00 / बैच (चिकित्सा पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु)

63500.00 / बैच (ए०एन०एम० प्रशिक्षण हेतु)

Break up Budget:

IUD training (District level) F/Y- 2012-13				
	MO		ANM/Nurse/LHV	
Duration of Training	6 Days		6 Days	
Participants	2 Medical Officer from Each PHC		2 ANM/Nurse/LHV from Each PHC	
Venue	Distt. Hospital/ ANM Training School		Distt. Hospital/ ANM Training School	
Total Training Load	2 MO X Total No. of PHC		2 ANM/Nurse/LHV X Total No. of PHC	
Batch Size	10 Participants		10 Participants	
Trainer	2 Master Trainers Trained in State level ToT		2 Master Trainers Trained in State level ToT	
Break Up of Budget per Budget				
Particular	Medical Officer	Total	Nurse/ANM/LHV	Total
DA for Trainees	Rs. 700 X 6DaysX10 participants =	42,000.00	Rs. 400 X 6Days X 10 participants =	24,000.00
Honararium to District/State/Regional National faculty(Trainer)	1. Rs. 1000 X 6Days X 1 MO trainers = 2. Rs. 600 X 6Days X 1 ANM/SN trainers =	9,600.00	1. Rs. 1000 X 6Days X 1 MO trainers = 2. Rs. 600 X 6Days X 1 ANM/SN trainers =	9,600.00
Lunch + Snacks	Rs.200 X 6Days X 12 participants=	14,400.00	Rs.200 X 6Days X 12 participants =	14,400.00
Contingency	Rs.250 X 10participants =	2,500.00	Rs.250 X 10participants =	2,500.00
Venue Hiring(one Hall)		6,000.00		6,000.00
TA for Trainers (as per State Govt Rule or actual which ever is less.)	Rs.@1000	2,000.00	Rs.@1000	2,000.00
TA for Trainees (as per State Govt Rule or actual which ever is less.)	Rs.@500	5,000.00	Rs.@500	5,000.00
Total		81,500.00		63,500.00

Note:- If Training faculty is from district then Hon. Rs. 600/Day entitled

If faculty is from regional/state/national/other district(on call basis) Hon. Rs. 1000/Day entitled

परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा संबंधित प्रशिक्षण हेतु सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी उपर्युक्त गतिविधियों के प्रस्ताव की संचिका जिला स्वास्थ्य समिति को उचित माध्यम से उपस्थापित करेगे। इसके अनुमोदपोपरांत प्रशिक्षण सम्पादित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा तथा विवरणी संधारित करवाने की जवाबदेही नोडल अधिकारी/Master Trainer की होगी। इस प्रशिक्षण हेतु परिवार कल्याण प्रभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से सम्पर्क स्थापित कर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम - डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017 / 9431005971